

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 618 /तक/मप्रग्रासप्रा/2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक 07/03/2024

वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.)

वनमंडल बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकला मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि रकबा 6.705 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबद्।

ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155398/2022

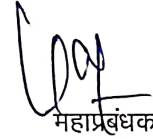
संदर्भ :- आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1805 बालाघाट दिनांक 05.03.2024

—00—

विषयांतर्गत जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के तहत कि.मी. 45 ऑफ टी 02 से कट्टीपारकला मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल www.forestsclearance.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155398/2022 भरा जाकर प्रस्तुत किया गया था।

उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वेब पोर्टल www.forestsclearance.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक/WL/MP/ROAD/465293/2024 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।



महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृष्ठां. क्र. 619 /तक/मप्रग्रासविप्रा/2024

बालाघाट, दिनांक 07/03/2024

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- (3) वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

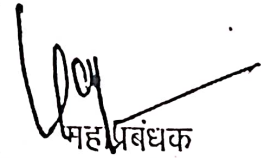


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

Justification

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWEA योजनांतर्गत जिला बालाघाट के लांजी विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01812 के किमी. 45 टी-02 से कट्टीपारकला मार्ग लंबाई 8.50 किमी. का निर्माण/उन्नयन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण में 6.705 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। सड़क का निर्माण नक्सल समस्या के उन्नमुलन हेतु प्रस्तावित है। साथ ही दूरस्थ अंचल के बसे गांवों को आवागमन में सुविधा होगी जिससे वर्षा ऋतु एवं अन्य प्रतिकूल मौसम में स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। सड़क के निर्माण से वनमंडल अधिकारियों तथा फील्ड कर्मचारियों को गश्ती करने, वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में सुगमता होगी। उक्त मार्ग के निर्माण/उन्नयन कार्य होने से यहाँ के रहने वाले आदिवासी, ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम होने से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास होगा।



मह. प्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

Annexure 1

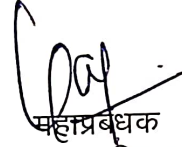
Details of the Projects user of lands of Protected Areas / Tiger Reserve / Tiger Corridor and of areas falling within the Ecologically sensitive zone or radius of 10 Km of such PAs*

S. No.	Name of the Project and State	Agenda Item no. and date of meeting SBWL / NBWL	Protected area / ESZ involved (Name)	Area approved in PA/ESZ for use/diversion (Ha)	Conditions imposed by SBWL / NBWL	Date of completion of work	Status of compliance of conditions	Remarks
1	Km 45 of T02 to Katiparkala FP/MP/Road/155398/2022	-	Kanha - Nagjira Indrawati - Tadoba Tiger Corridor	6.705	No condition imposed	30.12.2024	-	-


General Manager
MPRRDA, PIU-I Balaghat

Cost Benefit Analysis

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWEA योजनांतर्गत जिला बालाघाट के लांजी विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01812 के कि.मी. 45 ऑफ टी02 से कट्टीपारकला मार्ग लंबाई 8.50 किमी. का निर्माण/उन्नयन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण में 6.705 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। सड़क के निर्माण में किसी भी प्रकार का कार्बन का उत्सर्जन नहीं होना है, जिससे पर्यावरण को क्षति होगी। सड़क के निर्माण कार्य में कान्हा नेशनल पार्क के बाहर से प्लांट से डामर का मटेरियल लाया जा कर बिछाया जावेगा। अतः Cost Benefit Analysis की आवश्यकता नहीं है।



महसुल प्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट